(42)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 332–एक/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–12–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 124/2005–06/निगरानी.

—

लटूरचन्द पुत्र शंकरलाल किरार
निवासी ग्राम सिलेटा तहसील व जिला
गुना म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

श्री एस0पी0धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती नीना पाण्डे, पेनल अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 23–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 17/अ–19/1993–94 में दिनांक 15–6–1994 को आदेश पारित कर ग्राम स्लेटा की भूमि सर्वे कमांक 97 रकबा 1.00 हेक्टेयर पर आवेदक का व्यवस्थापन किया गया । उक्त व्यवस्थापन आदेश में अनियमितता पाते हुये अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर दिनांक 11–8–1999 को आदेश पारित किया जाकर तहसीलदार

का व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23–12–05 को आदेश पारित करत हुये अपर कलेक्टर का आदेश यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जाकर आवेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया गया है और व्यवस्थापन उपरांत उसके द्वारा धनराशि खर्च कर भूमि को सिंचित बनाया गया है, ऐसी स्थिति में व्यवस्थापन आदेश निरस्त होने पर उसे अपूर्णनीय क्षति हुई है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के आदेश को अत्यधिक विलम्ब से स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया गया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत अनुसार 180 दिवस के भीतर स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की जाना चाहिये । उनके द्वारा अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई थी इसलिये तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अपर कलेक्टर द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई है और कलेक्टर न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 15–6–1994 में जिसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में किया गया है, में अवैधानिक एवं अनियमितता पाते हुये तहसील न्यायालय के आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त किया गया है

जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करनें में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस न्यायालय में आवेदक की ओर से मुख्यतः इस आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को धनराशि खर्च करके सिंचित बना लिया गया है और अपर कलेक्टर द्वारा बहुत अधिक विलम्ब से प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर व्यवस्थापन निरस्त किया गया है, मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रारंभ से ही शून्यवत् आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता है । दर्शित परिस्थितियों अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 23–12–2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर.